# तेल उद्योग (विकास) नियम, 1975

# पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

## (पैट्रोलियम विभाग)

## अधिसूचना

## नई दिल्ली, 22 मार्च, 1975

# तेल उद्योग (विकास) नियम, 1975

## (मार्च, 1999 तक संशोधित)

केन्द्रीय सरकार, तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अथार्त :-

### अध्याय 1

### प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम –** इन नियमों का संक्षिप्त नाम तेल उद्योग (विकास) नियम, 1975 है।

2. **परिभाषाएं–** इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "अधिनियम" से तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का सं0 47) अभिप्रेत है;

(ख) "समिति" से धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों में से कोई भी समिति अभिप्रेत है;

(ग) "बोर्ड" के अधिकारी के अन्तर्गत बोर्ड का सचिव, संयुक्त सचिव, उप-सचिव या अवर सचिव और ऐसा अन्य व्यक्ति आते हैं जिसे बोर्ड द्वारा पदाभिहित किया जाये;

(घ) "सचिव" से अधिनियम की धारा 5(1) के अधीन नियुक्त बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है;

(ङ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

### अध्याय 2

### बोर्ड और उसकी समितियां

3. **सदस्यों को पदावधि–** प्रत्येक सदस्य अपनी नियुक्ति तारीख से जो उसकी नियुक्ति करने वाली अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, दो वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा, परन्तु यह तब जब कि धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (क), (ख), (ग) या (घ) के अधीन नियुक्त सदस्य उस दशा में सदस्य नहीं रह जाता जब कि–

(i) वह उस पद पर नहीं बना रहता है जिसके कारण उसकी नियुक्ति की गई थी; या

(ii) वह उस प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व करना छोड़ देता है जिससे उसकी नियुक्ति की गई थी।

4. **सदस्यता सूची–** सचिव सदस्यों के नामों और उनके पतों की बाबत एक अभिलेख रखेगा।

5. **पते में परिवर्तन–** सदस्य अपने पते में होने वाले किसी परिवर्तन के बारे में सचिव को सूचित करेगा। यदि वह पते में परिवर्तन की बाबत सूचित करने में असफल रहता है तो शासकीय अभिलेखों में के पते को सब प्रयोजनों लिए उसका पता समझा जाएगा।

6. **त्यागपत्र–** (1) बोर्ड का सदस्य, सचिव को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा और सचिव द्वारा त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार को भेजा जाएगा और वह केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी स्वीकृति की तारीख से या सचिव द्वारा त्यागपत्र की प्राप्ति से तीस दिन की समाप्ति पर, जो भी पूर्वतर हो, प्रभावी होगा।

(2) समिति का कोई सदस्य सचिव को संबोधित पत्र द्वारा समिति से त्यागपत्र दे सकेगा और वह अध्यक्ष द्वारा उसकी स्वीकृति की तारीख से या सचिव द्वारा त्यागपत्र की प्राप्ति से तीस दिन की समाप्ति पर, जो भी पूर्वतर हो, प्रभावी होगा।

7. **सदस्यों का हटाया जाना–** केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को अपने पद से उस दशा में हटा सकेगी जबकि–

(क) वह विकृत चित्त हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया हो, या;

(ख) वह दिवालिया हो जाता है या अपने ऋणों का संदाय करना बन्द कर देता है या अपने लेनदारों के साथ प्रशमन करता है या;

(ग) वह ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्बलित है;

(घ) वह बोर्ड के दो क्रमवर्ती अधिवेशनों में बोर्ड से अनुपस्थिति के लिए छुट्टी लिए बिना अनुपस्थिति रहता है;

(ङ) वह बोर्ड को किसी देय के संदाय में व्यक्तिक्रम करता है और बोर्ड द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है;

(च) केन्द्रीय सरकार की राय में वह समाधानप्रद रूप में अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असफल रहा है या असमर्थ है:
परन्तु ऐसी अधिसूचना जारी करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार ऐसे सदस्य को मामले में सुनवाई का अवसर देगी।

8. **अध्यक्ष को अस्थायी अनुपस्थिति–** यदि अध्यक्ष अंग शथिल्य के कारण या अन्यथा अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाता है या छुट्टी पर या अन्यथा ऐसी परिस्थितियों में अनुपस्थित रहता है जिसके कारण उसका पद रिक्त नहीं होता है, तो केन्द्रीय सरकार उसकी अनुपस्थिति के दौरान उसके स्थान पर कार्य करने के लिए अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी।

## अध्याय 3

## बोर्ड के अधिवेशनों और उसकी समितियों के लिए प्रक्रिया

9. **बोर्ड का अधिवेशन–** प्रत्येक वर्ष बोर्ड के कम से कम दो अधिवेशन ऐसी तारीखों और ऐसे स्थानों पर होंगे जैसा अध्यक्ष ठीक समझे और किन्हीं दो अधिवेशनों के बीच का अन्तराल किसी भी दशा में 8 मास से अधिक का नहीं होगा।

10. **अधिवेशनों का सभापतित्व किया जाना–** (1) अध्यक्ष, बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन जिसमें वह उपस्थित है, स्भापतित्व करेगा और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अधिवेशन में उपस्थित सदस्य अपने आपस में अधिवेशन का सभापतित्व करने के लिए एक व्यक्ति का चुनाव करेंगे।

(2) अध्यक्ष, यदि वह किसी समिति का सदस्य है समिति के अधिवेशन का सभापतित्व करेगा और अन्य मामलों में, जब तक किसी समिति के अध्यक्ष को बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, समिति अपने अध्यक्ष का चुनाव कर सकेगी, किन्तु यदि किसी अधिवेशन में उसके समय से पन्द्रह मिनिटों के भीतर अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, तो उपस्थित सदस्य किसी एक सदस्य को अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुन सकेंगे।

(3) धारा (3) की उपधारा (6) के अधीन नियुक्त किसी समिति के अधिवेशनों की कार्यवाहियां बोर्ड के अगले अधिवेशन में उसके समक्ष रखी जाएंगी।

11. **अधिवेशन बुलाने की शक्ति–** (1) अध्यक्ष किसी भी समय बोर्ड या किसी समिति का अधिवेशन बुला सकेगा और यदि, यथास्थिति, बोर्ड या समिति के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा लिखित रूप में अधिवेशन के लिए अध्यपेक्षा प्रस्तुत की जाती है तो वह ऐसा करेगा।

(2) अध्यक्ष, बोर्ड या किसी समिति के अधिवेशन में हाजिर होने के लिए बोर्ड के किसी अधिकारी की अपेक्षा कर सकेगा या किसी व्यक्ति या किन्ही व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकेगा, किन्तु ऐसे अधिकारी या व्यक्ति या व्यक्तियों को मतदान की शक्ति प्राप्त नहीं होगी।

(3) बोर्ड के अधिवेशन से पूर्व कम से कम 7 स्पष्ट दिनों और किसी समिति के अधिवेशन से पूर्व कम से कम तीन स्पष्ट दिनों की सूचना आशयित अधिवेशन के समय और स्थान की बाबत सचिव द्वारा हस्ताक्षरित केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी और, यथास्थिति, बोर्ड या समिति के प्रत्येक सदस्य के पते पर भेजी जाएगी :

परन्तु अत्यावश्यकता की दशा में, बोर्ड या किसी का विशेष अधिवेशन, अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय बुलाया जा सकेगा जो केन्द्रीय सरकार और सदस्यों को विचार-विमर्श की विषयवस्तु और कारणों जिनसे वह ऐसे अधिवेशन बुलाना अत्यावश्यक समझता है, की बाबत पूर्वसूचना देगा। ऐसे विशेष अधिवेशनों में कोई अन्य कारबार नहीं किया जाएगा।

(4) इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार किसी भी समय बोर्ड या समिति का अधिवेशन बुला सकेगी।

12. **गणपूर्ति–** (1) बोर्ड के किसी अधिवेशन में कोई कारबार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई या तीन सदस्य, जो भी उच्चतर हों, उपस्थित न हों और किसी समिति के किसी अधिवेशन में तब तक कोई कारबार नहीं किया जाएगा जब तक कि समिति गठन करने वाले सदस्यों का बहुमत उपस्थित न हो।

(2) यदि किसी समय बोर्ड या किसी समिति के अधिवेशन में उपस्थित सदसयों की संख्या अपेक्षित गणपूर्ति से कम हो तो सभापतित्व करने वाला व्यक्ति, सदस्यों को स्थगित अधिवेशन की तारीख समय और स्थान की बाबत सूचित करते हुए अधिवेशन की तारीख से तीन दिन से अपश्चात् तक की ऐसी तारीख को अधिवेशन स्थगित करेगा और यदि ऐसे स्थगित अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों की संख्या अपेक्षित गणपूर्ति से कम हो तो इस प्रकार उपस्थित सदस्यों की संख्या ही गणपूर्ति होगी।

13. **किसी समिति के अधिवेशन में अनुपस्थिति–** किसी समिति का कोई सदस्य यदि तीन क्रमवर्ती अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो उस समिति का सदस्य नहीं रह जाएगा।

14. **आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति की जानी–** (1) समिति की सदस्यता में किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा बोर्ड के सदस्यों में से की जाएगी।

(2) आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह सदस्य जिसके स्थान की वह पूर्ति करता है उस दशा में पद धारण करने का हकदार होता जब कि रिक्ति नहीं हुई होती।

15. **कार्यसूची–** (1) अध्यक्ष, विशेष अधिवेशनों, जो नियम 11 के उपनियम (3) के परन्तुक के अधीन बुलाई गई है के सिवाय, उस अधिवेशन में किए जाने वाले कारबार की सूची तैयार करवाएगा तथा केन्द्रीय सरकार और बोर्ड के या किसी समिति के सदस्यों में प्रचालित करवाएगा।

(2) इस प्रकार प्रचालित कारबार की सूची में जो कारबार सम्मिलित नहीं है वह अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना नहीं किया जाएगा।

16. **परिचालन द्वारा कारबार–** (1) ऐसा कारबार जो बोर्ड या किसी समिति द्वारा किया जाना है यदि अध्यक्ष ऐसे निदेश देता है कागजपत्रों के परिचालन द्वारा सदस्यों (उन सदस्यों से भिन्न जो भारत में अनुपस्थित हैं) को निर्दिष्ट किया जाएगा और इस प्रकार परिचालित सभी कागजपत्रों की प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएंगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन परिचालित कोई प्रस्थापना या संकल्प जो सदस्यों के ऐसे बहुमत द्वारा अनुमोदित किया गया है जिन्होंने लिखित रूप में अपने विचार अभिलिखित किए हैं ऐसे प्रभावी और आबद्धकारी होंगे मानों ऐसी प्रस्थापना या संकल्प अधिवेशन में सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्यित किया गया हो :

परन्तु यह तब जब, यथास्थिति, बोर्ड या समिति के सदस्यों के बहुमत ने प्रस्थापना या संकल्प की बाबत अपने विचार अभिलिखित किए हों।

(3) जब, यथास्थिति, बोर्ड या समिति के सदस्यों को परिचालन द्वारा कोई कारबार निर्दिष्ट किया जाता है तब सदस्यों से उत्तर की प्राप्ति के लिए कम से कम चौदह स्पष्ट दिनों की अवधि अनुज्ञात की जाएगी। ऐसी अवधि उस तारीख से जिसको कारबार की सूचना प्राप्त की जाती है गिनी जाएगी।

(4) यदि प्रस्थापना या संकल्प परिचालित किया जाता है तो परिचालन का परिणाम, यथास्थिति, बोर्ड या सम्बद्ध समिति के सभी सदस्यों को और केन्द्रीय सरकार को संसूचित किया जाएगा।

(5) कागजपत्रों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किए गए सभी विनिश्चय अधिलेख के लिए बोर्ड के अगले अधिवेशन में रखे जाएंगे।

17. **कारबार का अभिलेख–** (1) बोर्ड या समिति द्वारा किए गए कारबार के सभी मदों का अभिलेख सचिव द्वारा रखा जाएगा और ऐसे अभिलेख की प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएंगी।

(2) बोर्ड और किसी समिति के प्रत्येक अधिवेशन में किए गए कारबार के अभिलेख पर अध्यक्ष या ऐसे अधिवेशनों में सभापतित्व करने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(3) जब कागजपत्रों के परिचालन द्वारा कारबार किया जाता है तब इस प्रकार किए गए कारबार के अभिलेख पर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

18. **मतदान–** (1) बोर्ड या उसकी किसी समिति के अधिवेशन में उठाए गए प्रत्येक प्रश्न का विनिश्चिय ऐसे अधिवेशन में जिसमें यह बात उठाई गई है उपस्थित सदस्यों के बहुमत और मतदान द्वारा किया जाएगा।

(2) मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या अधिवेशन का सभापतित्व करने वाले सदस्य को द्वितीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा।

19. **पुनरीक्षण–** (1) केन्द्रीय सरकार लिखित कारणों से बोर्ड या उसकी समितियों के किसी विनिश्चय का पुनर्विलोकन कर सकेगी और मामले की बाबत ऐसे आदेश जैसे वह ठीक समझे पारित कर सकेगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की प्रति केन्द्रीय सरकार द्वारा यथास्थिति, बोर्ड या सम्बद्ध समिति को भेजी जाएगी।

(3) उपरोक्त प्रकार के आदेश की प्रति की प्राप्ति पर, यथास्थिति, बोर्ड या समिति उक्त आदेश के विरूद्ध केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन कर सकेगी और केन्द्रीय सरकार अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, उपनियम (1) के अधीन अपने द्वारा पारित आदेश को या तो रद्द, उपान्तरित या पुष्ट कर सकेगी।

## अध्याय 4

## बोर्ड और समितियों के सदस्यों को यात्रा और अन्य भत्ते

**20. बोर्ड और उसकी समितियों के सदस्यों की बैठक फीस और यात्रा भत्ते–** (1) धारा 3 की उपधारा 3 के खण्ड (घ) के अधीन नियुक्त सदस्य और अध्यक्ष, जब कि वह मंत्री या सरकारी कर्मचारी या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम का कर्मचारी नहीं है, या तो बोर्ड या किसी समिति के अधिवेशन में प्रथम दिन को हाजिर होने के लिए सौ रू0 की बैठक-फीस के हकदार होंगे और अधिवेशन के प्रत्येक पश्चातवर्ती दिन या उसके भाग के लिए प्रतिदिन पचास रूपये की बैठक-फीस संदेय होगी।

परन्तु जहां ऐसा सदस्य उसी दिन बोर्ड के अधिवेशन या समिति के अधिवेशन में हाजिर होता है, वहां वह केवल बोर्ड के अधिवेशन की बैठक-फीस पाने का हकदार होगा।

(2) सरकारी सेवक से भिन्न कोई सदस्य या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम का कर्मचारी, बोर्ड या उसकी सम्यकतः गठित समिति के अधिवेशन में हाजिर होने के प्रयोजन के लिए या बोर्ड या संबद्ध समिति द्वारा उसे सौंपे गए किसी कार्य के निर्वहन के प्रयोजनार्थ उसके द्वारा की गई किसी यात्रा की बाबत यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता ऐसी उच्चतम दरों पर पाने का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और आदेशों के अधीन और तत्समय प्रवृत प्रथम श्रेणी के सरकारी सेवकों को अनुज्ञेय हों।

(3) किसी सदस्य जबकि वह केन्द्रीय सरकार के किसी पदधारी या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम का कर्मचारी है, के द्वारा की गई यात्रा की दशा में, बोर्ड या किसी समिति के अधिवेशन में हाजिर होने या बोर्ड के किसी अन्य कारबार को करने के लिए उसे अनुज्ञेय यात्रा व दैनिक भत्ते बोर्ड द्वारा, सरकार या उन निगमों जिनके अधीन वह तत्समय नियोजित है के नियमों के अधीन अनुज्ञेय दरों पर देय होंगे।

## अध्याय 5

## बोर्ड और उसका स्थापन

**21. वेतन और भत्ते–** बोर्ड के सचिव, अध्यक्ष, अधिकारियों, परामर्शियों और कर्मचारियों के जो अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए हैं, वेतन, भत्ते, पेंशन, छुट्टी-वेतन और अन्य अभिदायों, यदि कोई हों, के कारण होने वाले सभी खर्चों की पूर्ति बोर्ड की निधियों में से की जाएगी।

**22. पद समाप्त करना–** बोर्ड ऐसे किसी पद को समाप्त कर सकेगा जिसका सृजन करने के लिए वह सक्षम है।

**23. तैनातियां और स्थानान्तरण–** बोर्ड के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनाती और स्थानान्तरण, अध्यक्ष या बोर्ड के ऐसे अधिकारी द्वारा किए जाएंगे जिसे बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो।

## अध्याय 6

## बोर्ड, अध्यक्ष और सचिव की शक्तियां

**24. व्यय उपगत करने और हानियों को अपलिखित करने की शक्ति–** (1) अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए बोर्ड उपबन्धित मदों पर और मंजूर की गई राशि के भीतर रहते हुए ऐसे व्यय उपगत कर सकेगा जो वह ठीक समझे :

परन्तु (i) बोर्ड के किसी कम्पनी या संगठन की सामान्य पूंजी में कोई निधियां विनियोजित करने या (ii) किसी एक ही मामले में 25 लाख रू0 से अधिक का अनुदान करने से पूर्व, केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(2) बोर्ड प्रत्येक मामले में, 20 लाख रूपये तक की हानि को अपलिखित कर सकेगा। इस रकम से अधिक की हानि को केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से अपलिखित किया जाएगा।

(2अ) उपनियम (2) के अधीन हानियों को अपलिखित करते समय, बोर्ड निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा, अर्थात् :-

(1) हानि से यह प्रकट न होता हो कि वह नियम में किसी त्रुटि के कारण हुई हैं;

(2) हानि से यह प्रकट न होता हो कि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट अनुबंधों का पालन करने में कोई त्रुटि हुई है;

(3) किसी तेल औद्योगिक समुत्थान की ओर से, जिसे बोर्ड ने ऋण अनुदत्त किया है, कोई ऐसी गम्भीर उपेक्षा न हुई हो जिससे कि ऋण की वसूली के लिए कोई विधिक या प्रशासनिक कार्यवाही की अपेक्षा की गई हो;

(4) हानि, बोर्ड के किसी कर्मचारी के ओर से गंभीर भूल के कारण न हुई हो और जहां हानि, ऐसे कर्मचारी की ओर से किसी गंभीर भूल के कारण हुई मानी जा सकती है वहां वह ऐसे कर्मचारी/कृत्याकारी से वसूल न की जा सकती हो;

(5) यदि किसी तेल औद्योगिक समुत्थान द्वारा बोर्ड की सहायता से अर्जित संपत्ति की हानि अग्नि, बाढ़, भूकम्प या किसी अन्य प्राकृतिक कारण से हुई है तो यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि इन तथ्यों की रिपोर्ट, बोर्ड को तत्परता से की गई है और उसका समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया गया है कि पूर्वोक्ति परिस्थितियां उक्त तेल औद्योगिक समुत्थान के नियंत्रण से परे थीं;

(6) यदि हानि, खण्ड 6 में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं अध्युपायों पर किसी खर्च के कारण हुई है तो उसके कारणों को अभिनिश्चित करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने विस्तृत अन्वेषण किया है कि यह हानि किसी अध्युपाय की तकनीकी दृष्टि से अच्छाई और व्यवहार्यता के निर्धारण में समुचित तकनीकी सर्वेक्षण में हई किसी कमी के कारण या ऐसे अध्युपाय करने वाले तेल औद्योगिक समुत्थान की ओर से किसी अन्य भूल के कारण नहीं हुई हैं।''

(फाइल सं. 7/4/78-पी. एफ. डी.)

एस. एल. खोसला, संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार

(3) बोर्ड का सचिव प्रत्येक मामले में दो हजार रूपये तक की हानि को अपलिखित कर सकेगा।

(4) बोर्ड उपनियम (1) के अधीन अध्यक्ष या अपने अधिकारियों को ऐसी सीमाओं में रहते हुए जो इस निमित्त उसके द्वारा अधिकथित की जाएं, शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(5) व्यय शीर्षकों के अधीन उप-शीर्षकों के बीच पुर्विनियोग बोर्ड द्वारा किए जा सकेंगे।

(6) तथापि बोर्ड उपनियम (5) के अधीन अपनी शक्तियां उस सीमा तक जो वह ठीक समझे, अध्यक्ष या सचिव को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

25. **संविदा-** (1) बोर्ड, अधिनियम के अधीन अपने को सौंपे गए कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए कोई संविदा कर सकेगा:

परन्तु ऐसी फर्मों या विदेशी सरकारों के साथ तकनीकी सहयोग या परामर्श-सेवा, जिसमें विदेशी मुद्रा का व्यय हो, की बाबत प्रत्येक करार या संविदा के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी की अपेक्षा होगी।

(2) बोर्ड अध्यक्ष या सचिव या किसी सदस्य को अपनी ओर से ऐसी सीमा तक जैसा वह ठीक समझे, संविदाएं करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(3) संविदायें बोर्ड पर तब तक आबद्धकारी नहीं होगी जब तक वे अध्यक्ष, किसी सदस्य या बोर्ड द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निष्पादित न हों।

(4) न तो अध्यक्ष और न ही बोर्ड का काई अधिकारी और न उसका कोई सदस्य बोर्ड द्वारा किए गए किन्हीं हस्तान्तरण पत्रों या संविदाओं के अधीन वैयक्तिक रूप से दायी होगा और ऐसे हस्तान्तरण पत्रों या संविदाओं के अधीन उद्भूत होने वाले किसी दायित्व का निर्वहन बोर्ड के व्ययनाधीन धन से किया जाएगा।

26. **शक्तियों के प्रत्यायोजन पर निर्बन्धन-** बोर्ड को किसी समिति को ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन करने की शक्ति प्राप्त होगी जो वह ठीक समझे किन्तु ऐसी शक्ति में निम्नलिखित नहीं होगी, अर्थात् :-

(क) किसी एक मद पर एक वर्ष में एक लाख रूपये से अधिक अनावर्ती व्यय मंजूर करने की शक्ति;

(ख) बोर्ड की ओर से बोर्ड के बजट प्राक्कलन अंगीकार करने की शक्ति;

(ग) हानियां अपलिखित करने या वसूलियों का अधित्यजन करने की शक्ति।

27. **उधार लेने की शक्ति-** बोर्ड, तेल उद्योग (विकास) निधि या उसकी अन्य आस्तियों में से किसी आस्ति की प्रतिभूति पर अपने खर्चों की या अधिनियम में निर्दिष्ट किन्हीं अन्य प्रयोजनों की पूर्ति के लिए उधार ले सकेगा :

परन्तु एक समय पर पाचं करोड़ रूपये से अधिक उधार लेने के लिए केन्द्रीय सरकार की मंजूरी ली जाएगी।

28. **अध्यक्ष को शक्तियाँ और कर्त्तव्य-** (1) अध्यक्ष अधिनियम और इन नियमों के अधीन बोर्ड के कामों को सुचारू रूप से चलाने और उसके कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) अध्यक्ष को सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टी देने की शक्ति प्राप्त होगी।

(3) अध्यक्ष, सचिव सहित बोर्ड के सभी विभागों और अधिकारियों पर प्रशासकीय नियन्त्रण रखेगा।

(4) अध्यक्ष को आकस्मिकताओं, प्रदायों और सेवा और बोर्ड के कार्यालय के कार्यकरण के लिए अपेक्षित वस्तुओं के क्रय के लिए तथा अधिनियम के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए उपाय करने के लिए व्यय मंजूर करने की शक्ति प्राप्त होगी, परन्तु यह तब जब कि बजट में इसका उपबन्ध किया गया हो।

(5) बोर्ड, इस नियम के अधीन कोई शक्ति बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी या अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त किसी सदस्य को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(6) अध्यक्ष को बोर्ड या किसी समिति के अधिवेशन का सभापतित्व करते समय बोर्ड या सम्बद्ध समिति से यह अपेक्षा करने की शक्ति प्राप्त होगी कि वह यथास्थिति, बोर्ड या सम्बद्ध समिति द्वारा किए गए विनिश्चय के अनुसरण में ऐसे विनिश्चय या केन्द्रीय सरकार को किए गए निर्देश के लम्बित रहने के दौरान, कार्यवाही करना आस्थागित कर दे।

(7) सदस्य को जो बोर्ड या किसी समिति के अधिवेशन का सभापतित्व कर रहा है बोर्ड या सम्बद्ध समिति से यह अपेक्षा करने की शक्ति प्राप्त होगी कि वह यथास्थिति बोर्ड या सम्बद्ध समिति द्वारा किए गए विनिश्चय के अनुसरण में ऐसे विनिश्चय पर अध्ययन को किए गये निर्देश के लम्बित रहने के दौरान कार्यवाही करना आस्थागित कर दे और अध्यक्ष द्वारा ऐसे निर्देश का विनिश्चय उपनियम (1) के अनुसरण में किया जाएगा।

(8) जहां किसी विषय का निपटारा बोर्ड या उसकी किसी समिति द्वारा किया जाना है और उस विषय की बाबत विनिश्चय यथास्थिति बोर्ड या समिति के अधिवेशन होने तक या बोर्ड या समिति के सदस्यों में सुसंगत कागजपत्रों का परिचालन पूरा होने तक स्थगित नहीं किया जा सकता है वहां अध्यक्ष स्वयं अपेक्षित विनिश्चय कर सकेगा।

(9) जहां अध्यक्ष ऐसा विनिश्चय करता है वहां वह उसे यथा स्थिति, बोर्ड या समिति द्वारा अनुसर्मित होने के लिए इसके अगले अधिवेशन में प्रस्तुत करेगा: परन्तु यदि बोर्ड या समिति अध्यक्ष द्वारा किए गए विनिश्चय को उपान्तरित या बातिल करता है तो ऐसा उपान्तरण या बातिलीकरण ऐसी कार्यावाही की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा जो उस विनिश्चय के परिणामस्वरूप पहले ही की गई है।

29. **सचिव की शक्ति और कर्त्तव्य–** (1) सचिव बोर्ड या समिति द्वारा किए गए विनिश्चयों को लागू करने और अधिनियम या इन नियमों के अधीन उस पर अधिरोपित कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) सचिव -

(क) यथासंभवशीघ्र सभी महत्वपूर्ण कागजपत्रों और विषयों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करवाएगा;

(ख) बोर्ड के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने की पद्धति की बाबत निदेश जारी करेगा;

(ग) अधिनियम के अधीन प्राप्त सभी धनों की बाबत बोर्ड की ओर से रसीद देगा या बोर्ड के संकल्प के अधीन रहते हुए ऐसा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत करेगा;

(घ) बोर्ड के प्राप्ति और व्यय का लेखा रखेगा या रखवाएगा; और

(ङ) बोर्ड के कार्यकरण की बाबत वार्षिक प्ररूप रिपोर्ट अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष रखेगा और बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्ररूप में रिपोर्ट उन तारीखों तक जो केन्द्रीय सरकार द्वारा संसद के दोनो सदनों के पटल पर रखे जाने के लिए इस निमित्त समय-समय पर विनिर्दिष्ट की गई हों, केन्द्रीय सरकार को देगा।

## अध्याय 7

## बोर्ड का वित्त बजट और लेखा

30. **बजट प्राक्कलन–** (1) बोर्ड प्रत्येक वर्ष जो अप्रैल से मार्च तक के 12 मास का वर्ष है, में आगामी वर्ष के लिए तेल उद्योग विकास निधि के लिए बजट तैयार करेगा और उस पर कार्यसूची की एक मद के रूप में बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श करेगा और तत्पश्चात् उसे ऐसी तारीख जो उस सरकार द्वारा विहित की जाए, को या से पूर्व, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा।

(2) जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा बजट अनुमोदित नहीं किया जाता है तब तक कोई व्यय उपगत नहीं किया जाएगा।

(3) बजट, ऐसे अनुदेशों जो समय-समय पर दिए जाएं, के अनुसार तैयार किया जाएगा और वह ऐसे प्ररूप में होगा जैसा केन्द्रीय सरकार निदेश दे और उसमें निम्नलिखित का विवरण भी सम्मिलित होगा-

(i) प्राक्कलित अथशेष;

(ii) धारा 18 की उपधारा (1) में निर्शिष्ट और अन्य स्त्रोतों से प्राक्कलित प्राप्तियां;

(iii) ऐसे शीर्षकों और उपशीर्षकों जो इन नियमों की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट हैं, के अधीन वर्गीकृत प्राक्कलित व्यय; और

(iv) प्राक्कलित अंत अतिशेष।

(4) व्यय के अनुपूरक प्राक्कलन, यदि कोई हों, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ ऐसे प्ररूप और ऐसी तारीखों को जो इस निमित्त उसके द्वारा निर्दिष्ट की जाएं, प्रस्तुत किए जाएंगे।

31. **बोर्ड के लेखे-** (1) बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष की बाबत इन नियमो की अनुसूची ii, iii और iv में यथाविनिर्दिष्ट या उनके यथासंभव निकटतम रूप में लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

(2) बोर्ड निम्नलिखित के संदर्भ में जर्नल और खातेबही सहित उचित लेखाबहियां रखेगा :-

(क) बोर्ड द्वारा प्राप्त और खर्च की गई सभी राशियां या धन और वे संव्यवहार जिनकी बाबत प्राप्ति और व्यय होते हैं;

(ख) बोर्ड द्वारा माल के सभी विक्रय और क्रय;

(ग) बोर्ड की आस्तियां और दायित्व;

(घ) विस्तृत समनुषंगी अभिलेख जिनमें निम्नलिखित विशिष्टियां दिखलाई जाएंगी-

(i) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में उसके द्वारा उधारों और अग्रिम धनों के वितरण और वसूलियां;

(ii) इसके द्वारा दी गई सभी गारंटियां;

(iii) वे विनिधान जो उसके द्वारा, क्रय करने की बाध्यताओं के अनुसरण में या अन्यथा किए गए हैं।

32. **बैकों में निधियों का निक्षेप और ऐसी निधियों का विनिधान-** (1) बोर्ड अपनी निधियों के निक्षेप की रीति और स्थान की बाबत विनिश्चय कर सकेगा, परन्तु निक्षेप किसी ऐसे निम्नलिखित बैंक या उसकी पूर्णतः स्वामित्वधीन समनुषंगियों में किया जाएगा जो बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जाए, अर्थात्-

(क) भारतीय स्टेट बैंक।

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंक।

(2) बोर्ड व्यय की रीति से सम्बन्धित विषयों और बैंक लेखा, निक्षेप जिसमें विनिधान भी हैं, के प्रचालन की बाबत विनिश्चय कर सकेगा।

(जी. एस. आर. 762 (ई) दिनांक 7 सितम्बर, 1990 द्वारा संशोधित)

33. **सरकार द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करना-** बोर्ड अपने किसी कारबार की बाबत ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा जिसकी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे।

34. **वित्तीय संस्थाओं को जानकारी देना-** बोर्ड, औद्योगिक समुत्थानों को उपलब्ध अल्प, मध्यम और दीर्घ-अवधि उधार देने के प्रयोजनार्थ स्थापित किसी वित्तीय संस्था से लिखित निवेदन किए जाने पर, बोर्ड के कारबार या क्रियाकलाप से सम्बन्धित कोई जानकारी केवल उन्हीं परिस्थितियों में किसी उस वित्तीय संस्था को देगा जिनमें ऐसी वित्तीय संस्था को विधि या परिपाटी और रूढ़िजन्य प्रथा के अनुसार ऐसी जानकारी प्रकट करना बोर्ड के लिए आवश्यक या सुमचित है।

35. **बोर्ड का प्रधान कार्यालय-** बोर्ड का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान में, जैसा केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निदेश दे, होगा।

# अनुसूची I

## तेल उद्योग विकास बोर्ड

[नियम 30 (3) (iii)]

व्यय शीर्षक

| शीर्षक | | उप–शीर्षक | |
|---|---|---|---|
| I. | प्रशासन | (i) | बोर्ड के व्यय |
| | | (ii) | बोर्ड का कार्यालय |
| | | (iii) | अन्य प्रभार, प्रासंगिक आदि |
| II. | अनुसंधान और विकास | (i) | विशेष परियोजनाएं और अध्ययन |
| | | (ii) | प्रशिक्षण |
| | | (iii) | अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्तियां |
| III. | तेल उद्योग को सहायता | (i) | खोज |
| | | (ii) | उत्पादन |
| | | (iii) | परिष्करण |
| | | (iv) | शैल रसायनिक |

## अनुसूची II

## तेल उद्योग विकास बोर्ड

[नियम 31 (1)]

......................................को......................................वर्ष के लिए प्राप्ति और संदाय लेखा

| प्राप्तियां | संदाय | | | |
|---|---|---|---|---|
| अथशेष | शीर्ष | | उपशीर्ष | |
| प्राप्तियां | I. | प्रशासन | (i) | बोर्ड के व्यय |
| (i) अधिनियम की धारा 16 के अधीन केन्द्रीय सरकार से प्राप्त रकमें। | | | (ii) | बोर्ड का कार्यालय |
| | | | (iii) | अन्य प्रभार, प्रासंगिक आदि |
| (ii) धारा 17 के अधीन केन्द्रीय सरकार से प्राप्त रकमें। | | | | |
| (iii) धारा 17 के अधीन केन्द्रीय सरकार से उधार | II. | अनुसन्धान और विकास | (i) | विशेष परियोजनाएं और अध्ययन |
| (iv) ऋण (प्राप्ति के स्रोत उपदर्शित करते हुए)। | | | (ii) | प्रशिक्षण |
| (v) अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं से अनुदान। | | | (iii) | अध्येतावृत्तियां और छात्रवृत्तियां |
| (vi) फीस | | | | |
| (vii) कमीशन | | | | |
| (viii) ब्याज से प्राप्तियां | III. | तेल-उद्योग को सहायता | | |
| (ix) अन्य प्राप्तियां (उचित उप-शीर्षों के अधीन)। | | (क) उधार | (i) | खोज |
| | | | (ii) | उत्पादन |
| | | | (iii) | परिष्करण |
| | | | (iv) | शैल रसायनिक |
| | | (ख) अनुदान | (i) | खोज |
| | | | (ii) | उत्पादन |
| | | | (iii) | परिष्करण |
| | | | (iv) | शैल रसायनिक |
| | IV. | अन्त अतिशेष | | |

**टिप्पण–यथोचित** सहायिकी अभिलेख रखे जाएंगे जिनमें सुविधाजनक रूप से विस्तृत वर्गीकरण करते हुए विभिन्न उप-शीर्षों के अधीन व्यय उपदर्शित किए जाएंगे।

# अनुसूची III

## तेल उद्योग विकास बोर्ड

[ नियम 31 (1)]

.............................................वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

| व्यय | | | आय | | |
|---|---|---|---|---|---|
| पूर्व वर्ष | विशिष्टियां | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष | विशिष्टियां | चालू वर्ष |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1. प्रशासन और स्थापन लागत | | | 1. विक्रय आय | |
| | 2. अनुसंधान और विकास लागत | | | 2. वित्त पोषण पर प्राप्त होने वाला ब्याज | |
| | 3. वित्त पोषण लागत | | | 3. फीस और कमीशन | |
| | 4. सहायिकी और अनुदान | | | 4. अंशधृतियों पर लाभांश | |
| | 5. कर | | | 5. विविध और विशेष प्राप्तियां | |
| | 6. परिशोधन और अवक्षयण | | | 6. घाटा, यदि कोई हो, निधी खाते में स्थानान्तरित | |
| | 7. विविध और विशेष व्यय | | | | |
| | 8. अधिशेष, यदि कोई हो, निधी खाते में स्थानान्तरित | | | | |

# अनुसूची IV

## तेल उद्योग विकास बोर्ड

**[नियम 31 (1)]**

31 मार्च..........................................को तुलनपत्र

| दायित्व | | | आस्तियां | | |
|---|---|---|---|---|---|
| पूर्व वर्ष | विशिष्टियां | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष | विशिष्टियां | चालू वर्ष |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1. अंतिम तुलन-पत्र के अनुसार तेल उद्योग विकास निधि का अतिशेष<br>* अधिशेष को जोड़िए-आय-व्यय लेखे में से अन्तरित की गई ऐसी आय का आधिक्य जो उस वर्ष के व्यय से अधिक है-<br>* घाटे को घटाइए-आय-व्यय लेखे में से अन्तरित ऐसे व्यय का आधिक्य जो उस वर्ष की आय से अधिक हो।<br>2. आरक्षित निधि<br>3. उधार और बन्ध-पत्र<br>4. अल्प-कालिक ऋण और प्रकीर्ण दायित्व<br>5. विविध दायित्व और व्यवस्था<br>* जो लागू न हो उसे काट दें। | | | 1. नियत आस्तियां<br>2. विनिधान<br>(i) अंशों में; और<br>(ii) डिबेंचरों में<br>3. ऋण और अग्रिम धन<br>4. अन्य चालू आस्तियां<br>5. नकदी और बैंक अतिशेष<br>6. प्रकीर्ण व्यय (उस सीमा तक जहां तक अपलिखित या समायोजित नहीं किया गया है।) | |

[सं० आई० एस०-12011/11/74-ओ० एन० जी० II/]
सी० आर० वैद्यनाथन, संयुक्त सचिव।